29.1.21 — उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 26.3.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

26.3.21 — उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 30.4.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

30.4.21 — पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 18.5.21 को पेश हो।

18.5.21 — उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29.6.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29.6.21 — पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 30.[illegible] को पेश हो।

25.10.21 — पत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान कैम्प भगवानपुरा में पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल हो कर प्राप्त हुए एवं नायब तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट पेश हुई जिसे शा० प० किया गया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर से [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:29:52 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 173/20

1- श्री अशोक कुमार S/o श्री रामजस महाजन निवासी– भगवानपुरा त० मांडल ....प्रार्थी (कृषक)

बनाम

1- श्री राजु S/o धनराज सोमानी निवासी भगवानपुरा त० मांडल (कृषक) --विपक्षीगण (संलग्नित प्रा०पत्र अनुसार)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 25-10-21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर वेदन किया कि ग्राम...भगवानपुरा...पटवार हल्का...भगवानपुरा...तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं...संलग्नित प्रा० पत्र अनुसार...कुल किता ....22.... रकबा...22 बीघा...हेक्टेयर 06 बिस्वा...स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक...25-9-20...को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा –फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम...भगवानपुरा... पटवार हल्का...भगवानपुरा...तहसील मांडल में स्थित आराजी नं...संलग्नित ... पिछले पृष्ठ पर अंकित...कुल किता ...22...रकबा...22 बीघा...हेक्टेयर 06 बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक...भगवानपुरा...को ...2300/-.../- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गढ़ी नहीं की जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:29:52 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
मांडल, जिला- भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा ... कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
मांडल, जिला- भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021